भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1019
गुरुवार, दिनांक 27 जून, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सौर ऊर्जा हेतु राजसहायता</u>

1019. श्री बैन्नी बेहननः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा घरेलू प्रयोजनार्थ और ऊर्जा द्वारा चालित सौर प्रकाश की संस्थापना हेतु नागरिक या निजी संस्थान द्वारा राजसहायता प्राप्त करने का कोई प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी राजसहायता दी जाती है; और

(ग) उक्त राजसहायता प्राप्त करने हेतु संपूर्ण प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर. के. सिंह)

(क) से **(ग)** सरकार द्वारा दिसम्बर, 2015 में अनुमोदित ग्रिड सम्बद्ध सौर रूफ टॉप कार्यक्रम के चरण-। के अंतर्गत आवासीय, संस्थागत और सामाजिक क्षेत्र में पहले से ही स्वीकृत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जा रही है । रूफटॉप सौर से प्राप्त सौर ऊर्जा का उपयोग रोशनी संबंधी उद्देश्यों के साथ बिजली की जरूरतों के लिए किया जा सकता है । यह सीएफए सामान्य श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में निविदा प्रक्रिया के तहत प्राप्त लागत का 30% अथवा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निर्धारित बैंचमार्क लागत में जो भी कम हो और विशेष श्रेणी के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मामले में यह 70% है । कार्यक्रम के प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से सीएफए का लाभ उठाया जा सकता है । इस योजना का प्रथम चरण अब पूरा हो गया है और कोई नई स्वीकृति जारी नहीं की जा रही है ।

फरवरी 2019 में अनुमोदित ग्रिड सम्बद्ध रूफटॉप सौर कार्यक्रम के चरण ।। के अंतर्गत, आवासीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए 3 किलोवाट तक के संयंत्रों के लिए 40% सब्सिडी और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक की संयंत्र क्षमता के लिए 20% तक सब्सिडी सीमित की गई है । यह सीएफए व्यक्तिगत आवास के लिए विद्युत की आपूर्ति करने वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है ।

***